राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7(38) परि/नियम/मु./2007/पार्ट iii/21762 जयपुर, दिनांक : 22/8/2019

कार्यालय आदेश संख्या .....16...../2019

1. मोटर यान चालन में आयु सीमा के संबंध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 4(1) के परंतुक में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है:—**मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा** — धारा 4(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा : परंतु कोई व्यक्ति सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साईकिल चला सकेगा।
2. इसी क्रम में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 15(2) में चालन परीक्षण के लिए यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अधिनियम 1988 की धारा 9 की उप–धारा 3 में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण (test of competence to drive), अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, उसी वाहन पर चालन परीक्षण लेगा जिस श्रेणी की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है।
3. पूर्व में काईनेटिक व टीवीएस निर्माता कम्पनियों द्वारा 50 सीसी इंजन क्षमता तक के दुपहिया वाहनों का निर्माण किया जाता था परन्तु वर्तमान में विभिन्न दुपहिया वाहन निर्माता कम्पनियों द्वारा 50 सीसी इंजन क्षमता तक के वाहन का निर्माण नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा 16 से 18 वर्ष आयु के आवेदकों का चालन परीक्षण हेतु प्रवर्ग एल 1 (L1 Category) में निर्धारित 50 सी.सी ईंजन क्षमता से अनधिक वाहन पर चालन परीक्षण न कर 50 सी.सी से अधिक ईंजन क्षमता के वाहन पर चालन परीक्षण कर चालक लाईसेंस जारी किया जाता है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः समस्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारियो/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नियम 1989 के नियम 15(2) के अनुसार 16 से 18 वर्ष आयु के आवेदकों का चालन सक्षमता परीक्षण उसी वाहन पर लिया जाए, जिस श्रेणी की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक

Scanned by CamScanner

द्वारा आवेदन किया गया है एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी संबंधित वाहन की पंजीयन संख्या का रिकॉर्ड में इन्द्राज किए जाने के पश्चात् ही लाईसेंस जारी किया जाना सुनिश्चित करें।समस्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एक ही दुपहिया यान से बार–बार चालन सक्षमता परीक्षण नही लिया जाना भी सुनिश्चित करेगें।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प.7(38) परि/नियम/मु./2007/पार्ट iii/21763-69 जयपुर, दिनांक : 22/8/2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक)को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 26.09.2018 के बिन्दु संख्या(xiv) की अनुपालना सुनिश्चित करने के क्रम में।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner